भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3326

उत्तर देने की तारीख : 20.03.2025

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना

3326. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आपातकालीन ऋण लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है या विशेष पहल शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) करूर संसदीय क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान ईसीएलजीएस के तहत कितने एमएसएमई ने लाभ/सहायता प्राप्त की है और इस योजना के तहत उन्हें कुल वितरित राशि का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ख) : आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मई, 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था ताकि पात्र एमएसएमई और व्यावसायिक उद्यमों को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधान के मद्देनजर उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने में सहायता प्रदान की जा सके। यह योजना दिनांक 31.03.2023 तक लागू थी।

जैसा कि राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा सूचित किया गया है, ईसीएलजीएस के तहत करूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए गारंटी और राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	सूक्ष्म		लघु		मध्यम		कुल	
	जारी की गई गारंटियों की संख्या	गारंटीकृत ऋण राशि (करोड़ रु. में)	जारी की गई गारंटियों की संख्या	गारंटीकृत ऋण राशि (करोड़ रु. में)	जारी की गई गारंटियों की संख्या	गारंटीकृत ऋण राशि (करोड़ रु. में)	जारी की गई गारंटियों की संख्या	गारंटीकृत ऋण राशि (करोड़ रु. में)
2020-21	5,308	101.91	505	106.37	101	35.80	5914	244.08
2021-22	460	52.26	195	53.30	9	17.17	664	122.73
2022-23	62	7.01	20	20.13	1	8.51	83	35.65
कुल	**5,830**	**161.19**	**720**	**179.79**	**111**	**61.48**	**6661**	**402.46**

*****